SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, I am just alarming the Government that there are cases not only in Maharashtra or Bombay but everywhere. Now, the Indian state or the Indian Government has to apply its mind to what one should do. This is such a serious matter. Who is responsible? Primarily, the State Government. When something happens, if they do not own any responsibility and pass it on to somebody else, we are not going to accept it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I think you have made your point. Please take your seat. Shri Maheshwar Singh. (*Interruptions*). One minute, Mr. Maheshwar Singh. Yes, Mr. Pradhan. Your party has already associated itself. Okay. Half a minute.

श्री सतीश प्रधान : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गुरुदास दासगुप्त जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया और बहुत अच्छी तरह से उठाया और आज उनकी जो टोन थी, उसको भी मैं एप्रिशियेट कर रहा हूं कि बहुत अच्छी टोन थी। अगर आगे भी इसी वातावरण में सदन में चर्चा हो तो बहुत अच्छा रहेगा।

The point is, as soon as the incident took place, the Government started taking action. Even by the evening, two persons were arrested. Other things are going on fast. The Government is taking stern action about it. If the Government knew that such a thing would take place, it would have provided security. The persons who might require security are requested. We requested so many people. "If you fear something wrong will take place or if some people are threatening you, please inform the Government. The Government will provide you security." Accordingly, so many people came forward to complain. We have given them security. Unfortunately, with Mr. Gulshan Kumar, it did not happen. Therefore the incident took place. We are very sorry for the incident. Action will be taken strictly. At the same time, I would request hon. Mr. Adik. Whenever you are talking in this House, please talk sense.

3.00 P.M.

RE: LOSS OF LIFE AND PROPERTY IN FLASH FLOODS IN HIMACHAL PRADESH

श्री महेश्वर सिंह : (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित ही है कि गत सप्ताह मैंने चेयर की ही अनुमति से इस माननीय सदन का 29 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में घटी एक दुर्घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में 29 जुलाई को भूकम्प से करोड़ों रुपए की सम्पत्ति की क्षति हुई थी। अभी इस दुर्घटना को घटे दो सप्ताह भी नहीं बीते कल और पिछली 11 तारीख की रात्रि को पुनः प्रकृति ने एक तांडव नृत्य रचा है और करोड़ों रुपए के जानमाल की क्षति हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में हुई है। महोदय, 11 तारीख की रात्रि को चडगांव नामक गांव में जो कि शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र में पड़ता है वहां बादल फटने से लगभग 150 लोग मर चुके हैं। वहां पर झील बनी हुई है, अभी पूरी क्षति का अंदाजा लगाना कठिन है और इसी प्रकार से किन्नोर जिले में बागटू नामक स्थान पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और सात किलोमीटर के एरिये में वहां झील बन गई है, सारी की सारी नदी रुकी पड़ी है, यही नहीं बल्कि जो पावर हाउस था रामपुर में उसमें भी पानी जा चुका है और एन० जे० पी० सी० की करोड़ों की जो मशीनरी थी वह तबाह हो चुकी है और जो एन०जे० पी० सी० की कालोनी स्थित है सतलज के किनारे वहां अभी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी मशीनरी बह गई है, कितनी गाड़ी बह गई कितने लोग मर गए, सैकड़ों, लोग अभी लापता और सम्पर्क टूटा हुआ है क्योंकि जो हमारी हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क है वह जगह-जगह टूट चुकी है, जगह-जगह क्षेत्र जलमग्न हुए हैं और यह जो सात किलोमीटर में जो झील बनी है भगवान न करें अगर यह बांध एकदम अकस्मात टूट गया तो निचल क्षेत्रों में और भी क्षति होने की संभावना है। मैं आभारी हूं जैसा कि

आपको विदित है कि प्रातःकाल में प्रश्नकाल के आरम्भ होने से पूर्व इस माननीय सदन ने एक शोक प्रस्ताव पारित किया है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति सम्वेदना प्रकट की है और मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की हैं। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल सरकार की आय के सीमित साधन है और जो क्षति पहले भूकम्प से हुई है उसकी भरपाई करने में भी हिमाचल सरकार असफल रही है और इतनी बड़ी जो यह क्षति है, यह जो क्लेमिटी है यह प्रदेश की नहीं बल्कि यह नेशनल क्लेमिटी है। भारत की सरकार को मदद के लिए आना चाहिए और प्रधान मंत्री राहत कोष से जो मृतक लोग हैं उनके आश्रितों को प्रति मृतक कम से कम दो लाख रुपया देना चाहिए और मैं जहां प्रधान मत्री से आग्रह कर रहा हूं वहां आपके माध्यम से इस माननीय सदन के सदस्यों से और देशवासियों से भी अपील करूंगा कि हिमाचल सरकार की और हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उदारता से दान दें ताकि ऐसे लोग जो आज बेघर हो गए है, ऐसे लोग जिनके परिवार के सदस्य मर चुके है उनके लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपके प्रति और इस सदन के प्रति धन्यवाद करते हुए फिर एक बार पुनः अपील करना चाहूंगा कि उदारता से इस संकट की घड़ी में हिमाचल की जनता की सहायता के लिए दान दें ताकि लोगों की सहायता हो सके। धन्यवाद।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से प्राकृतिक तांडव हुआ है और जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोगों की जानें गई और आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसान हुआ और जो चेतावनी महेश्वर सिंह जी ने दी है उसके संबंध में केन्द्र सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहए ताकि और इससे अधिक किसी प्रकार की गड़बड़ी वहां न हो सके। दूसरा, मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को वहां पर सहायता करने के लिए तुरन्त ही कोई हाई पॉवर कमेटी भेजनी चाहिए ताकि उनकी मदद करने में विलम्ब न हो सके, क्योंकि अन्यथा कई बार सहायता जाने में बहुत विलम्ब होता है और फिर उस सहायता का कोई अर्थ नहीं रहता। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह तुरन्त ही वहां जानकारी करने के लिए, तथ्य एकत्रित करने के लिए और तुरन्त सहायता देने के लिए बदोबस्त करे। तीसरे, मेरी मांग है कि जो मृतक परिवार के लोग है उनको दो-दो लाख रुपए की सहायता तुरन्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है और हम सब लोग हिमाचल के मृतक लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सोचते हैं कि जो गवर्नर साहब वहां गई हैं वह भी यहां राज्य सभा की पहले सेक्रेटरी जनरल थी, वह वहां पर हैं। हम चाहते हैं कि वह भी इस समय अपनी कर्तव्य-परायणता का परिचय देते हुए हिमाचल को संकट से उबारने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I think it is a very tragic incident. The whole House is associating itself with it. In the marning we made an obituary reference.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATRAJAN): Sir, the Minister wants to say something.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I think the whole House ssociates itself with it. It is a national tragedy and calamity. Mr. Minister, do you want to say something?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, we fully appreciate the sentiments expressed by the hon. Members. We will communicate to the Government at the highest level what they have stated. I also assure them that whatever we can do from my Ministry we will do. It was very rightly mentioned that we have a major power project there. We will try our level best to help them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mrs. Chandra Kala Pandey, do you still want to say something?

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : यह जो संवेदना व्यक्त हुए इन्होंने उठाया है उससे मैं अपनी भावना को संबद्ध करती हूं। मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है इसलिए बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे देश में कोई नेचरल कैलेमिटी श्राये तो हम सब को मिलकर उसका सामना करना चाहिए और उसके प्रति संवेदना जाहिर करनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mrs. Anandiben Patel, do you still want to say something?

श्रीमती श्रानन्दीबेन जेठाभाई पटेल : (गुजरात) : महोदय, जो विषय महेश्वर जी ने रखा है उससे मैं श्रपने आप को सम्बद्ध करती हूं श्रौर केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती हूं कि वह तुरन्त धन देकर सहायता करे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): We have concluded the Zero Hour Submissions. Now message from the Lok Sabha, Secretary-General.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 4 BILL, 1997.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lak Sabha signed by the Secretary General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lak Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1997, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th August, 1997.
>
> The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Now we will resume the Calling Attention Motion.

SHRI ISH DUTT YADAV (Uttar Pradesh): Sir, what about Special Mentions?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): We will take up the Special Mentions after this. Yesterday's Calling Attention Motion is here. That is not going to be a debate today. There will be only clarifications.

श्री ईश दत्त यादव : महोदय, स्पेशल मैशन तो थोड़े ही है, वह तो हो जाने चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): You please sit down. The procedure is that soon after the Question Hour we are supposed to take the Calling Attention Motion. Yesterday we had taken the time of the House. Today we have taken up the Zero Hour Submissions. Now we will take up the Calling Attention Motion. The hon. Minister is also sitting here. We will take up the Special Mentions later. Now we will resume the discussion on the Calling Attention Motion. As I have mentioned, it is not going to be a discussion as listed in the List of Business. There will only be clarifications. Now I would request Prof. Naunihal Singh to resume.

Calling Attention to matter of urgent Public Importance Power crisis in the contry-Contd.

PROF. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman. Yesterday I made certain observations about the acute problem of power shortage in the country. In this very context what we have to do is to plan for efficient generation and